

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या-01/F1 -08/2025, श्र०सं०- ५२ एस०ओ०-

दिनांक- ०७/०७/२०२५

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक-63) की धारा 87 एवं धारा 112 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्न नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -

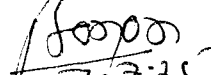
(1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 के साथ उपबंधित अनुसूची II के क्रमांक 3, अनुसूची III के क्रमांक 3, अनुसूची IV के क्रमांक 4, अनुसूची VI के क्रमांक 4, अनुसूची VII के क्रमांक 1, अनुसूची VIII के क्रमांक 3, अनुसूची X के क्रमांक 4, अनुसूची XI के क्रमांक 7, अनुसूची XIII के क्रमांक 63, अनुसूची XVI के क्रमांक 8, अनुसूची XVII के क्रमांक 5, अनुसूची XVIII के क्रमांक 6, एवं अनुसूची XIX के क्रमांक 15 के मुख्य प्रावधानों में "महिला" शब्द को शब्द "गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव

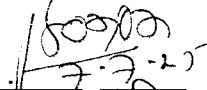
अधिसूचना

एस०ओ० दिनांक— का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

ज्ञापांक:— 01/F1 -08/2025, श्र०सं०— ५३

पटना, दिनांक— ०७/०७/२०२५

बिहार राज्यपाल के आदेश से


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— 01/F1 -08/2025, श्र०सं०— ५३

पटना, दिनांक— ०७/०७/२०२५

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— 01/F1 -08/2025, श्र०सं०— ५३

पटना, दिनांक— ०७/०७/२०२५

प्रतिलिपि:—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी पुलिस अधीक्षक/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— 01/F1 -08/2025, श्र०सं०— ५३

पटना, दिनांक— ०७/०७/२०२५

प्रतिलिपि:—निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव

Government of Bihar
Labour Resources Department
Notification

संचिका संख्या-01/F1 -08/2025, श्र०सं०-42 SO No... Patna, Dated ०७/०७/२०२५

In exercise of the powers conferred in Section 87 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) the Governor of Bihar is pleased to make following rules to amend the Bihar Factories Rules, 1950.

1. Short title, extent and commencement. -

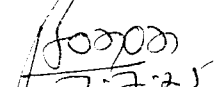
(1) These rules may be called the Bihar Factories (amendment) Rules, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The word "woman" in the main provisions of Serial no 3 of the Schedule II, Serial no 3 of the Schedule III, Serial no 4 of the Schedule IV, Serial no 4 of the Schedule VI, Serial no 1 of the Schedule VII, Serial no 3 of the Schedule VIII, Serial no 4 of the Schedule X, Serial no 7 of the Schedule XI, Serial no 63 of the Schedule XIII, Serial no 8 of the Schedule XVI, Serial no 5 of the Schedule XVII, Serial no 6 of the Schedule XVIII, Serial no 15 of the Schedule XIX of the rule 95 of the Bihar Factories Rule, 1950 shall be substituted by the word "pregnant women and lactating mother".

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 01/F1 -08/2025, श्र०सं०- ५३

पटना, दिनांक- ०७/०७/२०२५

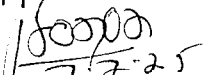
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


७.७.२५
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 01/F1 -08/2025, श्र०सं०- ५३

पटना, दिनांक- ०७/०७/२०२५

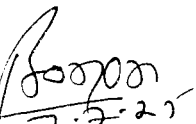
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी पुलिस अधीक्षक/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


७.७.२५
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 01/F1 -08/2025, श्र०सं०- ५३

पटना, दिनांक- ०७/०७/२०२५

प्रतिलिपि:-निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


७.७.२५
संयुक्त सचिव